रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 8, 2000/फाल्गुन 18, 1921

No. 152] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 8, 2000/PHALGUNA 18, 1921

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मार्च, 2000

सा. का. नि. 233 (अ).—केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुरगांव पत्तन न्यास कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 2000 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

अनुसूची

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2000

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा-124(1) तथा (2) के साथ पठित धारा-28 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुरगांव पत्तन न्यास का न्यासी मण्डल मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात :

1(i) इन विनियमों को मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2000 कहा जाएगा ।

(ii) ये विनियम उस तारीख से लागू होंगे जिस तारीख को केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है ।

2. **विनियम-1 में संशोधन** :

(i) उप-विनियम(2) में, "लागू" तथा "1 जूलाई, 1964" इन शब्दों के बीच में आनेवाला शब्द "को" को "के प्रभाव से" इन शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ii) उप-विनियम (3) में,

(क) खण्ड की शुरुआत में निम्नलिखित शब्दों को जोडा जाए :

"उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अधीन"

(ख) उप-विनियम के निम्नलिखित भाग को उप-विनियम (4) के रुप में नई संख्या दी जाए :

"ये विनियम निम्नलिखित पर लागू नही होंगे :-

(i) ठेके पर काम में लगाए गए कर्मचारी ;

(ii) वे कर्मचारी जो पूर्णकालिक नियुक्ति के अन्तर्गत न हो ;

(iii) वे कर्मचारी जिनका वेतन आकस्मिक निधि में से दिया जाता है ।

(iv) वे व्यक्ति जो अतिरिक्त अस्थायी कामों में अथवा कार्य-प्रभारित कामों में लगाए जाते है, (अस्थायी रुप से नियोजित व्यक्तियों से भिन्न और जिन्होंने पेंशन के लाभों के लिए विकल्प दिया है)

(v) अन्य वर्गों के कर्मचारी जो मण्डल द्वारा विहित किए जाते हैं ।

3. **विनियम-2 में संशोधन** :

खण्ड (iv) को निम्नप्रकार से प्रतिस्थापित किया जाए :

"iv) "अस्थायी सेवा" से तात्पर्य है मण्डल के तहत अस्थायी पद में कर्मचारी की अस्थायी सेवा अथवा स्थायी पद में स्थानापन्न सेवा ।"

4. **विनियम-3 में संशोधन :**

i) मौजूदा खण्ड "(क)" को उप-विनियम "(1)(क) के रुप में नई संख्या दी जाए ।

ii) उप-विनियम (1) के खण्ड (ख) के दूसरे परन्तुक को हटा दिया जाए ।

iii) टिप्पणी के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी : कर्मचारी को नोटिस देने के लिए अपनायी जानेवाली प्रक्रिया :

खण्ड (क) के तहत कर्मचारी को नोटिस देते समय नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी :-

(i) यह नोटिस कर्मचारी को व्यक्तिगत रुप से सुपुर्द की जाएगी अथवा जारी की जाएगी ;

(ii) जहां व्यक्तिगत रुप में नोटिस देना व्यवहार्य नही है, वहां नोटिस कर्मचारी के पते पर, जो नियुक्ति प्राधिकारी के पास उपलब्ध हो, रजिस्टर डाक पावती द्वारा भेजी जाएगी ;

(iii) रजिस्टर डाक द्वारा भेजी गई नोटिस कर्मचारी को प्राप्त हुए बिना वापस आ जाती है, तो नोटिस को समाचारपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इस प्रकार प्रकाशित करने पर यह समझा जाएगा कि यह नोटिस कर्मचारी को व्यक्तिगत रुप से उस तारीख को दी गई जिस दिन यह समाचारपत्र में प्रकाशित हुई है ।"

5. **विनियम-6 में संशोधन :**

(i) मौजूदा उप-विनियम "(1)" को विनियम "3" के उप-विनियम "2(क)" के रुप में नई संख्या दी जाए ।

(ii) नई संख्या दिए गए उप-विनियम 2(क) में निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया जाए :

(क) "मामले पर पुनःविचार" तथा "कर" के बीच में आनेवाले शब्द "और मामले के रिकार्ड मंगाकर":

(ख) "उचित हो" तथा "(क) कार्रवाई की पुष्टि" के बीच में आनेवाला शब्द "कर सकेगा"

(iii) परन्तुक के नीचे के खण्ड (i) के अन्त में आनेवाले शब्द "नोटिस की तारीख से" को उल्लिखित खण्ड की शुरुआत में जोडा जाए :

(iv) परन्तुक के नीचे के खण्ड (ii) के अन्त में आनेवाले शब्द "सेवा समाप्ति की तारीख से" को उल्लिखित खण्ड के शुरुआत में जोडा जाए :

(v) उप-विनियम(2) में, "उप-खण्ड" इस शब्द के बाद आनेवाले अंक "(1)" को "(2)" के साथ प्रतिस्थापित किया जाए ।

(vi) उप-विनियम (2) के खण्ड (क) में संशोधन,

(क) "की अवधि" तथा "अनुपस्थित" के बीच में आनेवाला शब्द "को" को "उसकी" इस शब्द के साथ प्रतिस्थापित किया जाए ।

(ख) "की तारीख" तथा "समाप्त होने" और पुनः "की समाप्त" तथा "सेवा" के बीच में "उसकी" शब्द को जोडा जाए ।

(vii) टिप्पणी के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी-1: विनियम-3 के तहत साधारण सेवा त्यागपत्र तथा नोटिस में भेद :

जब अस्थायी कर्मचारी सेवा त्याग पत्र प्रस्तुत करता है, तो सेवा त्याग पत्र के बीच भेद करते हुए यह बताना होगा कि सेवा समाप्ति की नोटिस कौन-सी है और कौन-सी नहीं है । मुरगांव पत्तन कर्मचारी

(अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3(1) के तहत अस्थायी कर्मचारी द्वारा दी गई सेवा समाप्ति की नोटिस, सेवात्याग के साधारण पत्र से कुछ अलग है जो उल्लिखित विनियम में कोई प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संदर्भ दिए बिना उसने प्रस्तुत की थी । जबकि पहला पत्र सांविधिक विनियमों द्वारा दिए गए अधिकार का प्रयोग है जिससे नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति पर अस्थायी कर्मचारी अपने आप से अपने कार्य निष्पादन को समाप्त कर सके, जबकि बाद वाले पत्र को सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता है जिससे कि वह प्रभावी हो सके । इसीकारण यदि अस्थायी कर्मचारी सेवा त्याग पत्र प्रस्तुत करता है जिसमें वह इन विनियमों के विनियम 3(1) को उल्लेख नहीं करता है अथवा यह भी नहीं कहता कि इसे सेवा समाप्ति की नोटिस समझी जाए, तो विनियम 3(1) के वहीं प्रावधान लागू नहीं होंगे । ऐसे मामले में वह अपने पद का पदभार तभी छोड सकता है जब सेवात्याग पत्र को स्वीकार किया जाता है और उसकी डयूटी से उसे कार्यमुक्त किया जाता है । इसीकारण ऐसी परिस्थितियों में, अस्थायी अधिकारी को एक महीने से भी अधिक रखना संभव होगा, यदि वैकल्पिक प्रबंध करने में उसे समय लगता है । इन विनियमों के प्रावधानों के लिए यह किसी भी प्रकार से असंगत नहीं होगा क्योंकि जब अस्थायी कर्मचारी उल्लिखित विनियमों के प्रावधानों को याचना किए बिना सेवात्याग पत्र प्रस्तुत करता है तब उनपर यह लागू नहीं होगा, इस बात के होते हुए भी कि अस्थायी कर्मचारी होने के नाते वह इन विनियमों द्वारा शासित है ।

viii) टिप्पणी-2 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"**टिप्पणी-2 : विनियम-3 के तहत सेवा समाप्ति के लिए मानक प्रोफार्मा :-**

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के तहत अस्थायी कर्मचारी की सेवा समाप्ति के लिए इस्तेमाल किए जानेवाले निर्धारित मानक प्रोफार्मा को अनुलग्नकों में दिया गया है । फार्म I तथा II का उपयोग उसी मामलों में करना है जहां नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष से भिन्न है । फार्म III तथा IV का उपयोग उसी मामलों में करना है जहां नियुक्ति प्राधिकारी अध्यक्ष है । फार्म V तथा VI का इस्तेमाल कर्मचारी को पहले से ही दी गई सेवा समाप्ति की नोटिस के प्रचलन के दौरान अध्यक्ष अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा किया जाना है ।"

(ix) टिप्पणी-3 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

टिप्पणी-3 : नोटिस के बदले वेतन तथा भत्ते को जब्त करने का प्रावधान नहीं है ।

विनियम-3, मण्डल को यह अधिकार देता है कि नोटिस के बदले एक महीने के वेतन तथा भत्ते का भुगतान करने पर अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को तत्काल समाप्त कर दें किन्तु जब कर्मचारी आवश्यक नोटिस नही देता है तो समान रकम मण्डल के पास जब्त करने का उसमें प्रावधान नहीं है । वेतन तथा भत्ते को जब्त करने के बारे में अस्थायी कर्मचारियों से वचन-पत्र प्राप्त करने की पध्दति को समाप्त करना होगा जिसे पहले से ही नहीं किया गया है ।"

(x) टिप्पणी-4 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"**टिप्पणी-4: सेवा समाप्ति आदेश में कारणों का उल्लेख नहीं करना होगा :**

अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं समाप्त करने के लिए विनियम-3 के तहत जब कार्रवाई की जाती है, तब सेवा समाप्ति आदेश में, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पास करना होगा, सेवा समाप्ति के कारणों का उल्लेख नहीं करना होगा ।"

(xi) टिप्पणी-5 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी(5): परिवीक्षार्थी/व्यक्ति जो परिवीक्षा पर है, के मामले में सेवा समाप्ति के लिए विनियम-3 की अपयुक्ति ।

ऐसे मामलों में जहां विशेष रूप से नियुक्ति पत्र में यह प्रावधान किया गया है कि परिवीक्षा अवधि (जिसमें बढाई गई अवधि भी शामिल है) के दौरान अथवा अंत में कोई नोटिस दिए बिना सेवा समाप्त की जा सकती है, यह उचित होगा परिवीक्षार्थी जो व्यक्ति परिवीक्षा पर है, की सेवाएं नियुक्ति पत्र के अनुसार समाप्त की जाए और न कि मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3(1) के तहत ।

(xii) टिप्पणी-6 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी (6): निलम्बन अथवा/और विभागीय कार्यवाही के दौरान सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है ।

(1) अस्थायी कर्मचारी के मामले में, यदि निलम्बन के समय उसके द्वारा धारण किए गए अस्थायी पद की अवधि समाप्त होने की संभावना है अथवा अनुशासनिक कार्यवाही समाप्त होने से पूर्व यदि उसे सेवा से हटाया जाना है तो इसका विचार निम्नलिखित गुणों पर किया जा सकता है कि -

(क) क्या उसके द्वारा धारण किए गए पद की अवधि की समाप्ति पर उसे सेवा से हटाना होगा; अथवा

(ख) क्या मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के तहत उसकी सेवाओं को समाप्त करना होगा; अथवा

(ग) क्या अनुशासनिक कार्यवाही को उसके तर्कसंगत समाप्ति तक जारी रखना होगा ।

यदि अनुशासनिक कार्यवाही को जारी रखने का निर्णय लिया गया तो ऐसे विस्तार की मंजूरी देनेवाले सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के तहत अस्थायी पद को उचित अवधि के लिए बढाना होगा । सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्राप्त करने में यदि विलम्ब की प्रत्याशा है तो सम्बन्धित कर्मचारी को सेवा मुक्त अथवा हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी के पास भेजे बिना ही पद को बढाने के आदेश जारी कर सकता है । यद्यपि ऐसे विस्तार से उत्पन्न हुई रिक्ती को नहीं भरना होगा ।

(2) जब कर्मचारी निलम्बन के अधीन है अथवा/और उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित है तब मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के तहत अस्थायी कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है ।"

(xiii) टिप्पणी-7 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी (7): सेवा समाप्ति के तुरंत बाद भुगतान किया जानेवाला नोटिस वेतन तथा भत्ता ।

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3 के उप-विनियम (1) के अधीन परन्तुक में यह प्रावधान है कि अस्थायी कर्मचारी की सेवाएं तुरन्त समाप्त करने पर, नोटिस के बदले में वेतन तथा भत्ते का भुगतान उसे करना होगा । सेवा से हटाये जाने के बाद ऐसे कर्मचारियों को वेतन और भत्तों का भुगतान तुरंत करना होगा ।

(xiv) टिप्पणी-8 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी-8 : नोटिस अवधि तथा सेवा का प्रकार की गणना ।

साधारणतया जब कर्मचारी सचमुच सेवा में होता है, तब व्यक्तिगत रुप से अथवा अन्य अधिकारी की उपस्थिति में उसे नोटिस देने में कोई कठिनाई नहीं होगी यदि वह इसे स्वीकार करने से इन्कार करता

है । ऐसे मामलों में जहां सेवा की टाल-मटोल करने की शंका की संभावना है अर्थात जब अधिकारी लंबी छुट्टी पर जाता है, तब विनियमों में यथा प्रावधान, नोटिस के बदले में महीने के वेतन का भुगतान करने की ऑफर के साथ सेवा को शीघ्र समाप्त करना होगा ।"

(xv) टिप्पणी-9 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी-9: नोटिस अवधि की समाप्ति पर औपचारिक रुप से कार्यमुक्त करने की आवश्यकता नही है ।

मुरगांव पत्तन कर्मचारी (अस्थायी सेवा) विनियम, 1964 के विनियम-3(1) के तहत अस्थायी कर्मचारी को जैसे ही नोटिस जारी की जाती है उस तारीख से, जिस तारीख को उसे नोटिस दी गई है, एक महीने की समाप्ति पर वह मण्डल की सेवा में नहीं रहेगा । यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी ऐसे कर्मचारी को, जिस तारीख से वह मण्डल की सेवा में नहीं है, ड्यूटी पर रखने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

(xvi) टिप्पणी-10 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी-10 : छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद का भुगतान

(i) सेवा की समाप्ति पर :- जब नोटिस द्वारा अथवा नोटिस के बदले वेतन और भत्तों के भुगतान द्वारा अथवा अन्यथा उसकी नियुक्ति की शर्तों के अनुसार कर्मचारी की सेवाओं को समाप्त किया जाता है तब उसे छुट्टी मंजूर करनेवाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वः प्रेरणा से, सेवा समाप्त होने की तारीख को उसके खाते में शेष अर्जित छुट्टी, जो 240 दिनों से अधिक न हो, के लिए समतुल्य नकद की मंजूरी दी जाएगी ।

(ii) सेवा से इस्तीफा देने पर/सेवा त्याग देने पर :- यदि कर्मचारी सेवा से इस्तीफा देता है अथवा सेवा त्याग देता है तो छुट्टी मंजूर करनेवाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वःप्रेरणा से सेवा की समाप्ति की तारीख को उसके खाते में शेष अर्जित अर्जित छुट्टी में से मात्र आधी छुट्टी की सीमा तक, जो 120 दिनों से अधिक न हो, के लिए समतुल्य नकद की मंजूरी दी जाएगी ।

उपरोक्त (i) तथा (ii) के अधीन भुगतान की जानेवाली समतुल्य नकद की गणना निम्न प्रकार से की जाएगी और इस नकद को एक-समयी निपटान के रुप में एकमुश्त में अदा किया जाएगा । मकान किराया भत्ता अथवा प्रतिपूरक भत्ते की अदायगी नहीं की जाएगी ।

$$\text{समतुल्य नकद} = \frac{\text{सेवा समाप्ति की तारीख को अनुमत वेतन और साथ ही उस तारीख को अनुमत महंगाई भत्ता}}{30} \times \text{अप्रयुक्त अर्जित छुट्टी की संख्या जिसके लिए नकदीकरण अनुमत है ।}$$

(iii) सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में :- ऐसे मामले में जहां सेवाकाल के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु होती है, यदि मृत कर्मचारी अर्जित छुट्टी, जो मृत्यु के तत्काल बाद तारीख को देय और ग्राहय होता, पर गया होता तो उसे अर्जित छुट्टी के बराबर नकद प्राप्त होता यदि उसकी मृत्यु नहीं होती तथा किसी भी मामले में छुट्टी वेतन, जो 300 दिनों से अधिक का नहीं होगा, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन के कारण कोई कटौती किए बिना, उसके परिवार को देय होगा । इस विनियम के

अधीन ग्राह्य छुट्टी वेतन के समतुल्य नकद के अतिरिक्त मृत कर्मचारी का परिवार केवल महंगाई भत्तों के भुगतान के लिए भी हकदार होगा ।

(xvii) टिप्पणी-11 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"टिप्पणी-11: जिस कर्मचारी की सेवाओं को नोटिस की अवधि के बदले वेतन तथा भत्तों के भुगतान पर समाप्त किया गया हो, वह कर्मचारी उसी अवधि के भीतर मण्डल के अधीन किसी अन्य नियुक्ति को प्राप्त कर लेता है तथा नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में आए को माफ करेगा और वेतन के नियतिकरण, वरिष्ठता, छुट्टी तथा उपदान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए नई नियुक्ति की सेवा को पिछली नियुक्ति के साथ निरन्तर माना जाएगा; बशर्ते कि उसके पुन:नियोजन के पश्चात नोटिस के असमाप्त भाग के लिए उसके पहले पद का वेतन तथा भत्तों सहित उसकी पिछली सेवा के संबंध में कोई उपदान अथवा अन्य सेवा समाप्ति लाभों को वह मण्डल को वापस करता है ।

6. विनियम-5 में संशोधन (मूलत:विनियम-10 के रुप में संख्या दी गई है):

(i) विनियम-5 को विनियम-4 के रुप में नई संख्या दी जाए ।

(ii) "में निहित" तथा "सेवा को" इन शब्दों के बीच में आनेवाले अंक "5" को "3" के साथ प्रतिस्थापित किया जाए ।

7. विनियम-6 में संशोधन (मूलत: विनियम-11 के रुप में संख्या दी गई है) :

(i) विनियम-6 को विनियम-5 के रुप में नई संख्या दी जाए और उप-विनियम(1) में निम्नलिखित शीर्षक को जोडा जाए :

"अस्थायी कर्मचारियों को देय अस्थायी उपदान"

(ii) उप-विनियम(1) में "जो" तथा "पर" इन शब्दों के बीच में आनेवाले शब्द "सेवानिवृत्त हुआ है" को "सेवानिवृत्त होता है" से प्रतिस्थापित किया जाए ।

(iii) उप-विनियम (1) के खण्ड (क) में "सेवा से निकालने" तथा "अयोग्यता" के बीच में "अथवा" शब्दों को जोडा जाए ।

(iv) उप-विनियम-4 को हटा दिया जाए ।

(v) उप-विनियम-5 को (4) के रुप में नई संख्या दी जाए ।

(vi) उप-विनियम-6 को (5) के रुप में नई संख्या दी जाए ।

8. नया विनियम-6:

नए विनियम-6 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"6.व्यावृत्ति : सभी मौजूदा अनुदेश, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधानों के प्रतिकूल नहीं है तथा सभी अनुदेश जो उन मामलों को शामिल करते है जिन्हें इन विनियमों में विशेष रुप से शामिल नहीं किया गया है, को जब तक संशोधित, आशोधित अथवा रद्द नहीं किए जाते तब तक प्रभावी रहेंगे ।

9. नया विनियम-7 :

नए विनियम-7 के रुप में निम्नलिखित को जोडा जाए :

"7. केन्द्र सरकार के आदेशों/अनुदेशों/नियमों को अनुपालन :

पूर्वोक्त विनियमों को लागू करने में तथा इन विनियमों में असंदर्भित मामलों के संबंध में, केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, 1965 तथा इसके तहत समय-समय पर जारी केन्द्र सरकार के आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा जब तक कि यह इन विनियमों के प्रावधानों से असंगत नहीं होते तथा यह मंडल द्वारा समय-समय पर निर्धारित अपवादों तथा संशोधनों के अधीन होगा।"

10. (i) मौजूदा विनियम-7 (मूलत: विनियम-13 के रुप में संख्या दी गई है) को विनियम-8 के रुप में नई संख्या दी जाए :

(ii) विनियम का दूसरा भाग "प्रश्न को मंडल के समक्ष रखा जाएगा और फिर मण्डल उस प्रश्न पर निर्णय करेगा" को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाए :

"इसे मण्डल के पास भेजा जाएगा, जो इसपर निर्णय करेगा।"

[फा. सं. पीआर-12016/6/2000-पीई-I]

के. वी. राव, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी : मूल विनियमों को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है देखें, सा.का.नि. सं.958 दिनांक 17/7/64

बाद के संशोधन : सा.का.नि. सं. 158(ई) के तहत दिनांक 19/03/97 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित केन्द्र सरकार की मंजूरी सं. पीआर-12016/27/95-पीई-1 दिनांक 19/03/97

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2000

G.S.R. 233(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-section (i) of Section 124, read with Sub-section (i) of Section 132 of the Major Ports Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mormugao Port Employees (Temporary Service) Amendment Regulation, 2000 made by the Board of Trustees for the Port of Mormugao and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

SCHEDULE

MORMUGAO PORT EMPLOYEES' (TEMPORARY SERVICE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2000

In exercise of the powers conferred by Section 28 read with Section 124(1) and (2) of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees of the Port of Mormugao hereby makes the following Regulations further to amend the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964 viz.:

1. (i) These Regulations may be called the Mormugao Port Employees (Temporary Service) (Amendment) Regulations, 2000.

(ii) They shall come into force with effect from the date on which the Central Government's approval to these Regulations has been published in the Gazette of India.

2. In Regulation 1:

(i) *In sub-regulation (2), substitute the word* "on" *occurring between the words* "force" *and* "1st July, 1964" *with the words*: "with effect from".

(ii) *In sub-regulation (3),*

(a) *Insert the following words at the beginning of the clause*:

"Subject to the provisions of sub-regulation (4)".

(b) *Renumber the following part of the sub-regulation as sub-regulation (4):*

"These regulations shall not, however, apply to:-

i) employees engaged on contract;

ii) employees not in whole-time employment;

iii) employees paid out of contingencies.

iv) persons employed in extra-temporary establishments or in work-charged establishments (other than the persons employed temporarily and who have opted for pensionary benefits);

v) such other categories of employees as may be specified by the Board.

3. In Regulation 2:

Substitute clause (iv) as follows:

"iv) 'temporary service' means the service of a temporary employee in a temporary post or officiating service in a permanent post, under the Board."

4. In Regulation 3:

i) *Renumber the existing clause* "(a)" *as sub-regulation* "(1)(a)".

ii) *Delete the second proviso* to clause (b) of sub-regulation (1).

iii) *Insert the following as a NOTE*:

"**NOTE**: - Procedure to be adopted for serving notice on an employee:

The following procedure shall be adopted by the appointing authority while serving notice on such employee under Clause (a):-

(i) The notice shall be delivered or tendered to the employee in person;

(ii) Where personal service is not practicable, the notice shall be served on such employee by registered post acknowledgment due at the address of the employee available with the appointing authority;

(iii) If the notice sent by registered post is returned unserved, it shall be published in the newspapers and upon such publication, it shall be deemed to have been personally served on such employee on the date it was published in the newspapers."

5. In Regulation 6:

(i) *Renumber the existing sub-regulation* "(1)" as *sub-regulation* "2(a)" *of Regulation* "3".

(ii) *In the renumbered sub-regulation 2(a), delete the following words:*

(a) "and after calling for the record of the case" *occurring between the words:* " reopen the case" *and* "and after making":

(b) "may" *occurring between the words* "deems fit" *and* "(a) confirm the action".

(iii) *The words* "from the date of notice" occurring *at the end of clause (i) below the proviso may be inserted at the beginning of the said clause.*

(iv) *The words* "from the date of termination of service " *occurring at the end of clause (ii) below the proviso may be inserted at the beginning of the said clause.*

v) *In sub-regulation (2), substitute the figure* "(1)" *occurring after the word* "sub-clause" *with the figure* "(2)".

(vi) *In clause (a) of sub-regulation (2),*

(a) *Substitute the word* "the" *occurring between the words* "period of" *and* "absence" *with the word* "his".

b) *Insert the word* "his" *between the words* "the date of" *and* "termination" *and again between the words* "termination of" *and* "service."

vii) *Insert the following as NOTE-1*:

"**NOTE 1: Distinction between a simple letter of resignation and notice under Regulation 3:**

When a temporary employee submits a letter of resignation, a distinction should be drawn between a letter of resignation purporting to be a notice of termination of service and one, which is not. A notice of termination of service given by a temporary employee under Regulation 3(1) of the

Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, is something different from a mere letter of resignation submitted by him without any reference direct or indirect to the said regulation. While the former is an exercise of the right conferred by statutory regulations enabling a temporary employee to cease performance of his duties automatically on the expiry of the prescribed period of notice, the latter requires acceptance by the competent authority in order to become effective. Therefore, if a temporary employee submits a letter of resignation in which he does not refer to Regulation 3(1) of these regulations or does not even say that it be treated as a notice of termination of service, the provisions of Regulation 3(1) *ib id* will not be attracted. In such a case, he can relinquish his post only when the resignation is accepted and he is relieved of his duties. It will, therefore, be possible in such circumstances to retain the temporary officer even beyond one month if it takes time to make alternative arrangements. This will not be repugnant to the provisions of these regulations in any way because when a temporary employee submits a letter of resignation without invoking the provisions of the said regulations, they will not come into the picture, notwithstanding the fact that, being a temporary employee, he is governed by these regulations."

viii) *Insert the following as NOTE-2:*

"**NOTE-2: Standard proformae for termination of service under Regulation 3:** -

Standard proformae prescribed to be used for termination of service of temporary employees under Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, are given in the Annexures. Forms I and II are meant for use in cases where the Appointing Authority is other than the Chairman. Forms III and IV are to be used in cases where the

Appointing Authority is the Chairman. Forms V and VI are to be used by the Chairman or the Appointing Authority for termination of service during the currency of the notice of termination of service already served on the employee."

(ix) *Insert the following as NOTE-3:*

"**NOTE-3: No provision for forfeiture of pay and allowances in lieu of notice**. Regulation 3 enables Board to dispense with the services of a temporary employee forthwith on payment of one month's pay and allowances in lieu of notice but does not provide for the forfeiture to Board of a similar amount when the employee does not give the requisite notice. The practice of obtaining an undertaking from temporary employees regarding forfeiture of pay and allowances should be discontinued where this has not already been done."

(x) *Insert the following as NOTE-4:*

"**NOTE-4: Reasons should not be mentioned in the termination order**. - When action is taken under Regulation 3 to terminate the services of a temporary employee, the order of termination, which should be passed by the appointing authority, should not mention the reasons for such termination."

xi) *Insert the following as NOTE-5:*

"**NOTE (5): Non-applicability of Regulation 3 for termination of service in the case of probationers / persons on probation.**

In cases where a provision has been specifically made in the letter of appointment for termination of service without any notice during or at the end of the period of probation (including extended period) , it would be desirable to terminate the services of the probationer/ person on probation in terms of

the letter of appointment and not under Regulation 3(1) of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964."

(xii) *Insert the following as NOTE-6*:

"**NOTE (6): Services can be terminated during suspension or/and departmental proceedings.**

(1) In the case of a temporary employee if the term of temporary post held by him at the time of suspension is likely to expire or if the otherwise becomes liable to be retrenched from service before the disciplinary proceedings are likely to be completed, it may be considered on merits whether –

(a) he should be discharged from service on the expiry of the term of the post held by him; or

(b) his services should be terminated under Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964; or

(c) the disciplinary proceedings should be continued to its logical conclusion.

If it is decided to continue the disciplinary proceedings, the temporary post should be extended for an appropriate period under order of the authority competent to sanction such extension. If delay is anticipated in obtaining the sanction of the competent authority, the authority competent to dismiss or remove the employee concerned from service may issue orders extending the post without reference to the competent authority. The vacancy caused by such extension should not, however, be filled.

(2). The services of a temporary employee can be terminated under Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, while he is under suspension or / and departmental proceedings are pending against him."

xiii) *Insert the following as NOTE-7:*

"**NOTE- (7) – Notice pay and allowances to be paid immediately on discharge.**

Although the amended proviso to sub-regulation (1) of Regulation 3 of the Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, provides that upon the termination of services of a temporary employee forthwith, he should be paid his pay and allowances in lieu of notice. The pay and allowances of such employees should be paid immediately on their discharge."

(xiv) *Insert the following as NOTE-8:*

"**NOTE-8: Reckoning of notice period and mode of service**.

Ordinarily, when an employee is actually in service, there would not be any difficulty in serving the notice on him personally or tendering in the presence of some other officer, if he refuses to accept the same. In the cases where it is apprehended that service is likely to be evaded e.g., when the officer is on long leave, service should be terminated forthwith with an offer to pay a month's salary in lieu of notice as provided in the Regulations."

xv) *Insert the following as a NOTE-9:*

"**NOTE-9: No formal relieving is necessary on expiry of notice period.**

Once a notice is issued to a temporary employee under Regulation 3(1) of Mormugao Port Employees' (Temporary Service) Regulations, 1964, he ceases to be in Board service on the expiry of one month from the date on which the notice was served on him. The question of formally relieving him on the due date does not arise. It should be ensured that no such employee is allowed to be kept on duty from the date on which he ceases to be in Board service.

xvi) *Insert the following as NOTE-10:*

"**NOTE-10: Payment of cash equivalent of leave salary.**

(i) *On termination of service*. - Where the services of an employee are terminated by notice or by payment of pay and allowances in lieu of notice, or otherwise in accordance with the terms and conditions of his appointment, he may be granted *suo motu by* the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date on which he ceases to be in service, subject to a maximum of 240 days.

(ii) *On resignation/quitting service*.- If an employee resigns or quits service, he may be granted *suo motu* by the authority competent to grant leave, cash equivalent in respect of earned leave at his credit on the date of cessation of service, to the extent of half of such leave at his credit, subject to a maximum of 120 days.

The cash equivalent payable under (i) and (ii) above shall be calculated as follows, and it shall be payable in one lumpsum as a one-time settlement. No HRA or CCA shall be payable.

$$\text{Cash equivalent} = \frac{\text{Pay admissible on the date of cessation } \textit{plus} \text{ DA admissible on that date}}{30} \times \text{No. of days of unutilised earned leave for which encashment is admissible}$$

(iii) *In case of death in service*.- In case an employee dies while in service, the cash equivalent of the leave salary that the deceased employee would have got had he gone on earned leave that would have been due and admissible to him but for the death on the date immediately following the

death and in any case not exceeding leave salary for 300 days, shall be paid to his family without any reduction on account of pension equivalent of death-cum-retirement gratuity. In addition to the cash equivalent of leave salary admissible under this regulation, the family of the deceased employee shall also be entitled to payment of dearness allowance only.

xvii) *Insert the following as NOTE-11:*

"**NOTE-11**: Where an employee, whose services have been terminated on payment of pay and allowances in lieu of a period of notice is able to secure another appointment under the Board within that period, the break in service may be condoned by the appointing authority and service in the new appointment treated as continuous with that in the previous appointment for all purposes including fixation of pay, seniority, leave and gratuity or other retirement benefits; provided that he shall refund to the Board the pay and allowances of the former post for the unexpired portion of the notice, after his re-employment as well as any gratuity or other termination benefits in respect of his previous service."

6. In Regulation 5 (originally numbered as 10):

(i) *Renumber Regulation 5 as Regulation 4.*

(ii) *Substitute the figure* "5" *occurring between the words* " contained in" *and* ""the service" *with the figure* "3".

7. In Regulation 6 (originally numbered as 11):

(i) *Renumber Regulation* 6 *as Regulation* 5 *and insert the following heading in sub-regulation* (1):

" **TEMPORARY GRATUITY PAYABLE TO TEMPORARY EMPLOYEES.**"

(ii) *In sub-regulation (1), substitute the word* "retired" *occurring between the words* "who" *and* "on" *with the word* "retires."

(iii) *In clause (a) of sub-regulation (1), insert the word* "or" *between the words* "discharge" *and* "invalidment."

iv) *Delete sub-regulation (4).*

v) *Renumber sub-regulation (5) as (4).*

vi) *Renumber sub-regulation (6) as (5).*

8. New Regulation 6:

Insert the following as a new Regulation 6:

"6. SAVING: All the existing instructions, which are not contrary to any of the provisions of these Regulations and all instructions, which cover matters not specifically covered by these Regulations, shall continue to be in force until they are amended, modified or cancelled."

9. NEW REGULATION 7:

Insert the following as a new Regulation 7:

"7. **ADOPTION OF CENTRAL GOVERNMENT'S ORDERS/ INSTRUCTIONS/RULES:**

In applying the foregoing regulations and in respect of matters not dealt with in these Regulations, the Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 and the orders/instructions of the Central Government issued thereunder from time to time shall be followed insofar as they are not inconsistent with the provisions of these Regulations, subject to such exceptions and modifications as the Board may from time to time determine."

10. *(i). Renumber the existing Regulation 7 (originally numbered as 13) as Regulation 8.*

(ii). Substitute the second half of the Regulation: "The question shall be referred to the Board and the Board shall decide the question " *with the following:*

"it shall be referred to the Board, who shall decide it."

[F. No. PR-12016/6/2000-PE-I]

K. V. RAO, Jt. Secy.

FOOT NOTE: The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide GSR No. 958 dated 1/7/64.

Subsequent amendments: Central Government's sanction No. PR-12016/27/95-PE-I dated 19/03/97 published in the Gazette of India dated 19/03/97 under GSR No. 158(E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064